

30/08/2012.

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

पटना

विषय- खरीफ विपणन मौसम २००९-१० के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए प्रति क्विंटल धान पर पचास रूपए बोनस देने के सम्बन्ध में.

आदरणीय महाशय,

राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम २००९-१० के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए प्रति क्विंटल धान पर पचास रूपए बोनस देने की घोषणा की गयी थी, पर अभी तक किसानों को मात्र ५७% बोनस राशि का भुगतान हो पाया है. औरंगाबाद जिले में प्रोत्साहन राशि हेतु उपलब्ध कराये गए ₹२८६९२००.०० रूपए का जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है. साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी ने निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार (पटना) को प्रेषित अपने पत्रांक ६०१ दिनांक २०.०६.२०१२ द्वारा शेष ४३% प्रोत्साहन राशि भेजने का अनुरोध किया है. मामला किसानों के उपज के भुगतान से सम्बंधित है और काफी पुराना हो गया है. इस हेतु दर्ज मेरे शिकायत पर संयुक्त निबंधक ने औरंगाबाद जाकर जांच की तथा मेरी शिकायत को हूबहू सही पाया. जांच-रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है. निबंधक तथा संयुक्त निबंधक द्वारा उपलब्ध कराये गए तथ्यों के अनुसार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा सहकारिता विभाग को मात्र ५७% राशि ही उपलब्ध कराई गयी, जिससे शेष ४३% राशि का भुगतान आज तक नहीं हो सका है.

अतः निवेदन है कि शेष ४३% बोनस राशि का भुगतान शीघ्र करने का आदेश जारी कर कृतार्थ करें.

प्रतिलिपि -

- (१) प्रधान सचिव (बिहार सरकार)
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
- (२) प्रधान सचिव (बिहार सरकार)
सहकारिता विभाग
- (३) निबंधक सहयोग समितियाँ,
बिहार सरकार.

विश्वासी-

श्रीकान्त शर्मा

(श्रीकान्त शर्मा)

ग्राम पोस्ट - अरई, प्रखण्ड- दाऊदनगर
जिला- औरंगाबाद (बिहार), पिन-८२४१४३

कार्यालय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियों, मगध प्रमण्डल गया।

ज्ञाप संख्या 330 / गया, दिनांक 10.7.12

प्रेषित

श्री श्रीकान्त शर्मा
ग्राम पोस्ट अरई प्रखंड दाउदनगर जिला औरंगाबाद ।
✓ श्री रजनीश कुमार
ग्राम पोस्ट अरई प्रखंड दाउदनगर जिला औरंगाबाद ।

विषय : न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सत्र 2009-10 में किसानों से खरीदे गये धान पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन दिनांक 6.7.11 एवं 12.1.11 जो माननीय मुख्य मंत्री सचिवालय बिहार पटना को परिवाद पत्र संदर्भ 999951701110101 एवं 999990212110107 जो सरकार के उप सचिव सहकारिता विभाग सह जन शिकायत पदाधिकारी बिहार, पटना के पत्रांक 2375 एवं 2377 दिनांक 5.6.12 के निर्देशानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.6.12 को औरंगाबाद जिला में स्थल जाँच किया गया जिसमें विभागीय पत्रांक 1856 दिनांक 7.4.11 द्वारा औरंगाबाद जिला हेतु प्रोत्साहन राशि कुल मो0 12869200.00 रूपया प्राप्त हुआ था जो प्रोत्साहन राशि का 57 प्रतिशत ही था जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र वितरण करने के उपरान्त जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा विभाग को भेज दिया गया है । शेष 43 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि अबतक जिले को प्राप्त नहीं होने के कारण किसानों के बीच वितरण नहीं किया जा सका है । शेष प्रोत्साहन राशि हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी औरंगाबाद ने अपने पत्रांक 601 दिनांक 20.6.12 द्वारा निबंधक सहयोग समितियों बिहार पटना से अनुरोध किया है ।

संयुक्त निबंधक ।

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ।

पत्र संख्या 3686 / पटना, दिनांक 17.07.12
4 नि पणान १ अधि ज. शि. 03/12

प्रेषक,

पी० के० सिन्हा,
संयुक्त निबंधक, १ पणान,
स०स०, बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्री श्रीकर्मल शर्मा
ग्राम पी० अरई प्रखंड दाउदनगर
जिला औरंगाबाद ।

विषय:- खरीफ विपणन मौसम 2009-10 में धान/ चावल अधिप्राप्ति
अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय बोनस के संबंध में ।

प्रसंग - बिहार जन शिकारत निवारण पणाली मुख्यमंत्री सचिवालय क
संदर्भ संख्या 99999-0902110100

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि खरीफ विपणन
मौसम 2009-10 में धान / चावल अधिप्राप्ति पर राज्य सरकार द्वारा
देय बोनस के वितरण हेतु इस कार्यालय के फर्बक 1043 दि. 3.3.11
द्वारा सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को राशि का आर्बटन कर
दिया गया है । सुलभ प्रसंग हेतु इस कार्यालय के फर्बक 1043 दि. 3.3.11
की छाया प्रति संलग्न है ।

कृपया अवगत होना चाहेंगे ।

13/07

विश्वास भवन,
13/7/2012
संयुक्त निबंधक १ पणान १,
सह
प्रभारी पदा. अधि.

कार्यालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 1043 / पटना, दिनांक 03.03.11
04/नि.-पणन (अधि.) बोनस - 02/11

प्रेषक,

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।

विषय :- खरीफ विपणन मौसम, 2009-10 के अन्तर्गत धान/चावल आधिप्राप्त हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 50 रुपये प्रति क्वींटल की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने हेतु आवन्तन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि किसानों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से उनके पत्रांक 453 दिनांक 24.01.2011 के द्वारा 14,36,01,050-00 (चौदह करोड़ छत्तीस लाख एक हजार पचास मात्र) रुपये प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु प्राप्त हुआ है। इस राशि को संलग्न अनुसूची-एक के अनुसार जिलावार निधि आवंटित की जा रही है। उक्त प्रोत्साहन राशि का पैक्सों के निम्न सदस्यों के बीच वितरण हेतु निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. उक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान उन्हीं पैक्सों के किसान सदस्यों को किया जाएगा, जो अधिप्राप्ति हेतु जिला टास्क फोर्स कमिटी द्वारा चयनित किए गए हों।
2. जिला सहकारिता पदाधिकारी उक्त प्रोत्साहन राशि के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक में एक अलग खाता संधारित करेंगे, जिसमें मात्र उक्त प्रोत्साहन राशि की जमा एवं निकासी होगी। सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी प्राप्ति एवं व्यय के लेखा के साथ इस राशि का संधारण अपने मुख्य रोकड़ पंजी में करेंगे।
3. पैक्सों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति किए गए धान की मात्रा एवं मूल्य सहित रसीद की अभिप्रमाणित छाया प्रति किसानों के नाम, पते एवं किसानों द्वारा केन्द्रीय सहकारी/व्यावसायिक बैंक में संधारित खाता संख्या सहित सूची सम्बन्धित जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा।
4. जिला सहकारिता पदाधिकारी पैक्सों द्वारा समर्पित अधिप्राप्ति विवरणी का सत्यापन भारतीय खाद्य निगम से करा लेंगे। तदुपरान्त जिला सहकारिता पदाधिकारी पैक्सों के किसान सदस्यों केन्द्रीय सहकारी अधिकोष/व्यावसायिक बैंक में संधारित बचत खाते में एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान करेंगे।
5. चूंकि, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से बोनस मद में मात्र 14,36,01,050-00 रु. ही प्राप्त है, जो कि कुल आवश्यकता का 57% है। अतः निदेश दिया जाता है कि जिले में किसी भी पैक्स के द्वारा समर्पित दावे का 57% से अधिक का भुगतान नहीं किया जाए।
6. जिन जिलों में सहकारी बैंक परिसमापनाधीन है, उन जिलों में जिला सहकारिता पदाधिकारी जिला के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाता खोलेंगे एवं ऊपर वर्णित प्रक्रियानुसार किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करेंगे।



7. किसी भी परिस्थिति में जिला सहकारिता पदाधिकारी उक्त खाते में प्रोत्साहन राशि का पैक्स/किसानों को नगद भुगतान नहीं करेंगे।

8. राशि का वितरण समयबद्ध कार्यक्रम के तहत अभियान चला कर किया जाय तथा भुगतान की गई राशि सही कृषक को मिल सके, इसका नियमित अनुश्रवण प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जाए। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

9. समय पर राशि का वितरण नहीं होने पर सम्बन्धित दोषी पदाधिकारी पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

10. वय्य विवरणी माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाए, जिसकी एक प्रति जिला पदाधिकारी को भी दी जाए।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1043 / पटना, दिनांक 03.03.11

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी अधिकोष लि. एवं सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1043 / पटना, दिनांक 03.03.11

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1043 / पटना, दिनांक 03.03.11

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

खरीफ विपणन मौसम 2009-10 में धान अधिप्राप्ति हेतु प्रोत्साहन राशि का जिलावार आवंटन

(राशि रुपये में)

जिला	खरीफ अधिप्राप्ति का नाम	अधिप्राप्ति का योग (मि.टन में)	कुल धान अधिप्राप्ति (मि.टन में)	कुल धान अधिप्राप्ति का 57.046% (मात्रा रसीटन में)	किए गए कुल धान अधिप्राप्ति का 57.44% के आधार पर आवंटित राशि
1	तिरहुत				
	1 गुजफरपुर	98.00	15500.00	88421.00	4421050.00
	2 वैशाली	25.00	2396.00	13668.00	683400.00
	3 सीतामढ़ी	70.00	10005.00	57075.00	2853750.00
	4 मोतिहारी	95.00	9310.50	53113.00	2655650.00
	5 बेतिया	106.00	36410.00	207704.00	10385200.00
	6 शिवहर	22.00	100.00	570.00	28500.00
तिरहुत प्रान्त का योग		416.00	73721.50	420552.00	21027600.00
2	पटना				
	7 पटना	84.00	19500.00	111240.00	5562000.00
	8 नालन्दा	53.00	27534.00	157000.00	7853500.00
	9 बक्सर	27.00	9022.09	51407.00	2573350.00
	10 भोजपुर	51.00	7860.00	44838.00	2241900.00
	11 कैमूर	94.00	72679.18	414606.00	20730750.00
	12 रोहतास	246.00	106695.51	608655.00	30432750.00
पटना प्रान्त का योग		555.00	243290.78	1387877.00	69394250.00
3	अमनपुर				
	13 अमनपुर	51.00	6161.15	35147.00	1757350.00
	14 बाँका	5.00	13360.64	76217.00	3810850.00
अमनपुर प्रान्त का योग		56.00	19521.79	111364.00	5568200.00
4	मुंगेर				
	15 मुंगेर	9.00	0.00	0.00	0.00
	16 जमुई	50.00	1820.00	10317.00	519100.00
	17 लखीसराय	45.00	6040.50	34459.00	1722950.00
	18 शेखपुरा	10.00	4551.90	25967.00	1298350.00
	19 बेगूसराय	17.00	0.00	0.00	0.00
	20 खगड़िया	21.00	7646.90	43623.00	2181150.00
मुंगेर प्रान्त का योग		152.00	20059.30	114430.00	5721500.00
5	दरभंगा				
	21 दरभंगा	108.00	4382.00	24998.00	1249900.00
	22 मधुबनी	39.00	342.00	1951.00	97550.00
	23 सनस्तीपुर	9.00	35945.69	205056.00	10252800.00
दरभंगा प्रान्त का योग		156.00	40669.69	232004.00	11600200.00
6	झारम				
	24 झारम	161.00	108.70	620.00	31000.00
	25 सीवान	78.00	12716.58	72543.00	3627150.00
	26 गोपालगंज	61.00	21341.00	121742.00	6087100.00
झारम प्रान्त का योग		299.00	34166.28	194905.00	9745250.00
7	मगध				
	27 गया	9.00	3826.60	21629.00	1091450.00
	28 अरवल	27.00	1505.00	8585.00	429250.00
	29 खीरसाबाद	98.00	45118.60	257384.00	12869200.00
	30 जहानाबाद	27.00	2108.00	12025.00	601250.00
	31 नवादा	191.00	1497.00	8540.00	427000.00
मगध प्रान्त का योग		352.00	50553.20	308363.00	15418150.00
8	पूर्निचा				
	32 पूर्निचा	48.00	6797.58	38777.00	1938850.00
	33 किरानगंज	18.00	4874.89	27809.00	1390450.00
	34 अररिया	48.00	2300.00	13121.00	656050.00
	35 कटिहार	58.00	154.85	883.00	44150.00
पूर्निचा प्रान्त का योग		172.00	14127.32	85591.00	4029350.00
9	कोसी				
	36 अंधेपुरा	170.00	2340.00	13349.00	667450.00
	37 सहरसा	33.00	1450.70	8276.00	413800.00
	38 सुपौल	19.00	53.00	302.00	15100.00
कोसी प्रान्त का योग		222.00	3843.70	21927.00	1096350.00
कुल योग		2381.00	503455.56	2872013.00	143601050.00

7/3/11

Handwritten signature and date 7/3/11

Handwritten signature and date 15/11